महत्वपूर्ण

संख्या-112/2022/2441/26-3-2022-1541/2016

प्रेषक,

डॉ0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-**3** लखनऊ: दिनांक 18 अक्टूबर, 2022

विषयः- मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को नि:शुल्क साक्षात प्रशिक्षण /आनलाइन प्रशिक्षण /सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/स0क0/विकास/कोचिंग/2022-23, दिनांक-18.05.2022 एवं पत्र संख्या-420/स0क0/विकास/कोचिंग-अभ्युदय/2022-23, दिनांक-05.07.2022, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को नि:शुल्क साक्षात प्रशिक्षण /आनलाइन प्रशिक्षण /सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश/गाइड लाइन निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्य मंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-**41/2022/714/26-3-2022-1514/2016** टी**0**सी**0**-।।, दिनांक-20.04.2022 द्वारा उक्त योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया जा चुका है एवं उक्त योजना के प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालन किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016, दिनांक-06.02.2021 द्वारा कतिपय प्राविधान किये गये हैं।

3- उपरोक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है:-

1- परिचय –

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं को समान अवसर प्रदान करने एवं विभिन्न सेवाओं के चयन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन एवं ऑफलाइन (हाईब्रिड) मोड में योजना का संचालन करना।

2- <u>उद्देश्य–</u>

लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश के समस्त वर्गों के प्रतिभाशाली तथा उत्साही युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्ध में समुचित उच्च स्तरीय साक्षात, ऑनलाइन मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देकर उनके उत्थान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

योजना का संचालन किया जा रहा है। शासन की उच्च प्राथमिकता वाली इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना होगा, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क तैयारी कराये जाने की व्यवस्था की गई है:-

2.1 संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक, मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार।

2.2 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं।

2.3 एन.टी.ए. द्वारा आयोजित जे.ई.ई., नीट एवं सी.यू.ई.टी. की परीक्षाएं।

2.4 एन.डी.ए., सी.डी.एस., अन्य सैन्य सेवाएं, अर्द्धसैनिक तथा केन्द्रीय पुलिस बल की भर्ती सम्बन्धी।

2.5 बैकिंग,पी.ओ.,एस.एस.सी.,बी.एड.,टी.ई.टी.,टी.जी.टी.,पी.जी.टी.,सहायकप्राध्यापक, यू.जी.सी.नेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि।

3- <u>पूर्व व्यवस्था-</u>

शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016, दिनांक-06.02.2021, शासनादेश संख्या-150/2021/3424/26-3-2021-1514/2016 टी0सी0-।। दिनांक-17.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-41/2022/714/26-3-2022-1514/2016 टी0सी0-।।, दिनांक-20.04.2022 द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है।

4- <u>योजना का क्रियान्वयन:-</u>

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दु होगें-

4.1 राज्य व जिला स्तरीय समिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

4.2 राज्य सरकार में कार्यरत आई.ए.एस., आई.पी.एस., भारतीय वन सेवा, पी.सी.एस.संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, विषय-वस्तु विशेषज्ञों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के अभ्यर्थियों हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निःशुल्क मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4.3 इस योजना हेतु छत्रपति शाहू जी महाराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। इस कार्य के सफल संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त संस्थान का होगा।

4.4 इस योजना के संचालन हेतु बनाए गए पोर्टल एप, अन्य साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का वार्षिक रख-रखाव तथा संचालन का कार्य छत्रपति शाहू जी महाराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी ।

4.5 हाईब्रिड मोड में ई-लर्निंग सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन व सम्पर्क केन्द्र के जरिये साक्षात मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

5- <u>राज्य स्तर पर ई-लर्निंग सिस्टम की स्थापना:-</u>

5.1 ई-लर्निंग सिस्टम में ई-कन्टेन्ट यथा एनीमेटेड वीडियो लेक्चर, ऑडियो-विजुअल पी.पी.टी., नोट्स, टेस्ट सीरीज़, क्विज़, एसाइनमेण्ट, श्रेणीबद्ध पूर्ण मार्गदर्शन (टिप्स), गत वर्षों के प्रश्नपत्र व उनका व्याख्यात्मक उत्तर आदि को तैयार कर ई-प्लेटफार्म के माध्यम से टू-वे-लर्निंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

5.2 **<u>ई-कन्टेन्ट तैयार किया जाना</u>-**

5.2.1 अत्याधुनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी व शैक्षणिक तकनीकी आदि का समुचित प्रयोग करते हुए पीपीपी माडल पर उत्कृष्ट विषय फैकल्टीज की सहायता से सम्पूर्ण सिलेबस के रोचक एवं लक्षित ज्ञानवर्धक ई-कन्टेन्ट तैयार कराये जायेंगे, जिसमें उपाम का सहयोग लिया जाता रहेगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक अत्याधुनिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तकनीक युक्त स्टूडियो तैयार कराया जायेगा व तत्सम्बन्धी सक्षम सेल का गठन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

5.2.2 अभ्युदय योजनान्तर्गत समुचित ई-कन्टेन्ट तैयार होने की अवधि में विभिन्न उत्कृष्ट निजी कोचिंग केन्द्रों के ई-कन्टेन्ट आदि को क्रय कर अभ्यर्थियों को ओपन सोर्स की भाँति निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5.2.3 ई-कन्टेन्ट का स्तर, गुणवत्ता व पूर्णता इस प्रकार की होगी कि सुदूर अंचलों के अभ्यर्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता न हो।

5.3 <u>ई-लर्निंग प्लेटफार्म-</u>

5.3.1 राज्य स्तर पर अत्याधुनिक तकनीकी उच्च स्तरीय ई-लर्निंग प्लेटफार्म एक यूजर फ्रेन्डली पोर्टल के रूप में बनाया जायेगा, जिसे अभ्यर्थियों को ओपनसोर्स की भाँति निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। जिसे मोबाइल एप के रूप में भी विकसित किया जायेगा।

5.3.2 ई-लर्निंग प्लेटफार्म पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषय वस्तु सामग्री आदि ई कन्टेंट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर तैयार ई कन्टेंट के साथ ही ख्याति प्राप्त संस्थाओं की सामग्री अनुबन्ध के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेगी एवं विशेषज्ञों द्वारा नये वीडियो बनाने एवं अपलोड करने की कार्यवाही की जायेगी।

5.3.3 इस प्लेटफार्म के जरिये ई-कन्टेंट माध्यम से लर्निंग के टू वे मोड के तहत अभ्यर्थियों की लर्निंग प्रोफाइलिंग भी तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन, उनकी तैयारी के पर्यवेक्षण आदि के लिए फैकल्टी, मेंटर, गाइड एवं अन्य विशेषज्ञों आदि को पोर्टल पर जोड़ा जायेगा।

5.3.4 इस प्लेटफार्म पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा परीक्षा की तैयारी संबंधी अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो अपलोड किये जायेंगे। इस पोर्टल पर परीक्षा की तैयारी से संबंधित टिप्स सामग्री, पुस्तकों इत्यादि संबंधी मार्गदर्शन देते हुए वीडियो अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लाइव सत्र एवं वेबिनार भी आयोजित किये जायेंगे, जिसमें अधिकारियों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

5.3.5 सभी सरकारी विभाग/संस्थानों के ई-लर्निंग एप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध किये जायेंगें।

6- <u>सम्पर्क केन्द्र</u>-

6.1प्रत्येक जनपद के मुख्यमंत्री अभ्युदय केन्द्र,समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, छात्रावास व आश्रम पद्धति विद्यालय व राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री अभ्युदय सचिवालय में सम्पर्क केन्द्र स्थापित किये जायेंगें।

6.2 हाईब्रिड मोड के तहत साक्षात मार्गदर्शन व प्रशिक्षण के लिए व ई-लर्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए ई-लर्निंग सिस्टम से जुड़ी व ई-लर्निंग के दौरान उत्पन्न शंकाओं के प्रत्यक्ष सम्पर्क के जरिये समाधान हेतु सम्पर्क केन्द्र में व्यवस्था की जायेगी।

6.3 सम्पर्क केन्द्र में विषय विशेषज्ञ, केन्द्रीयकृत प्रशिक्षित अतिथि प्रवक्ता, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित अधिकारीगण, कोर्स-कोआर्डिनेटर आदि पूर्व घोषित समय-सारिणी के अनुसार अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन, शंका निवारण व प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहेंगें।

6.4 सम्पर्क केन्द्र पर साक्षात प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किये जायेंगें।

6.5 सम्पर्क केन्द्र में रिसोर्स पर्सन्स व अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु समुचित बुनियादी ढांचा व सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेंगीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6.6 जिलाधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु कोई भी राजकीय अथवा राज्य से अनुदानित इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों इत्यादि के भवन निःशुल्क कक्षाओं हेतु उपयोग किये जायेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संचालन हेतु न्यूनतम तीन कक्षों की आवश्यकता होगी, जिसमें 01 कक्ष पुस्तकालय एवं 02 कक्ष कक्षाओं के संचालन हेतु उपयोग किये जायेंगें। आवश्यकतानुसार संस्था के रिक्त अन्य कक्षों का भी उपयोग किया जायेगा। जिन पाठ्यक्रमों में आसानी से विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हो, वही पाठ्यक्रम जनपद स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र में संचालित किये जायेंगे। जनपद स्तरीय समिति द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

6.7 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसूचित जाति छात्रावास के विद्यार्थियों को लाभान्वित कराने हेतु उक्त परिसरों में भी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत केन्द्र अथवा उपकेन्द्र संचालित किये जायेंगे। जनपद स्तर पर इनपैनल्ड अतिथि व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन कार्य कराया जायेगा तथा मानदेय का भुगतान मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनान्तर्गत किया जायेगा।

6.8 सम्पर्क केन्द्र में कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त छात्रों को उद्यमिता विकास तथा कौशल विकास के सम्बन्ध में भी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा जिससे युवाओं में रोजगार के साथ-साथ गरिमामयी स्व-रोजगार की भी भावना का विकास होगा।

7- <u>राज्य स्तरीय समिति -</u>

योजना के पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय समिति निम्नवत् होगी:-

(1) मा. मंत्री जी, समाज कल्याण	-	अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	-	सदस्य
(4) महानिदेशक, उपाम	-	सदस्य
(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना	-	सदस्य
(6) राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी	-	सदस्य
(7) निदेशक, छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
(8) निदेशक, समाज कल्याण	-	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय समिति द्वारा कन्टेंट तथा पठन-पाठन सामग्री इत्यादि हेतु अपनी आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति द्वारा शिक्षण कैलेण्डर बनाना व विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री (सभी माध्यमों से यथा वीडियों आदि) तैयार कराने का कार्य भी किया जायेगा। इस संबंध में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों व अन्य संस्थानों से भी अनुबन्ध के आधार पर सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। वीडियों व अन्य सामग्री को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले स्क्रीनिंग की जायेगी। इसके लिए प्रत्येक विषय विशेषज्ञों की भी सहायता ली जायेगी। ई-लर्निंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध करायी जाने वाली अध्ययन सामग्री का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

यह समिति कार्यक्रम के संचालन हेतु जिम्मेदार होगी तथा इसके द्वारा दिन प्रतिदिन की कार्यवाही का समन्वय भी किया जायेगा। छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण भागीदारी भवन लखनऊ में उक्त समिति के लिए कक्ष, कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- <u>जिला स्तरीय समिति का गठन-</u>

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी। समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् है-

(1)जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
(2)मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
(3)मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	-	सदस्य
(4)जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
(5)क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अथवा प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय	-	सदस्य
(6)प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	-	सदस्य
(7)बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
(8)उपजिलाधिकारी	-	सदस्य
(9)जिलाधिकारी द्वारा नामित दो राजपत्रित अधिकारी	-	सदस्य
(10)कोर्स को-आर्डिनेटर	-	सदस्य
(11)जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य सचिव
(12)जिलाधिकारी द्वारा नामित दो गैर सरकारी व्यक्ति (जो इस क्षेत्र का अनुभव रखते हैं।)	-	सदस्य

समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विषय विशेषज्ञ का चयन, परीक्षा की तैयारी के तरीके, टिप्स, प्रश्नों का उत्तर लिखने की विधि, सामान्य अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जायेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक सत्र में 05 बैठकें आयोजित की जायेंगी तथा समय-समय पर योजना का अनुश्रवण भी किया जायेगा। जनपद स्तर पर योजना के संचालन का दायित्व जिला स्तरीय समिति का होगा।

9- <u>प्रवेश हेतु पात्रता-</u>

9.1 जे.ई.ई., नीट हेतु कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे।

9.2 सिविल सेवा एवं पी.सी.एस. की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अन्तिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र अर्ह होंगे।

9.3 एन.डी.ए., सी.डी.एस., क्लैट, बैंकिंग, उ.प्र. अधीनस्थ चयन आयोग, टी.जी.टी. एवं पी.जी.टी. आदि परीक्षाओं की शैक्षिक अर्हताएं भी सम्बन्धित प्रतियोगी परीक्षा के अनुरूप होंगी।

10- <u>चयन प्रक्रिया -</u>

प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि के अनुसार सम्बन्धित कोर्स हेतु अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक पात्रता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। प्रवेश परीक्षा तथा प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी। छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट अथवा साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो।

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, उत्तर प्रदेश पी0सी0एस0 (प्रारम्भिक) परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को सीधे प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी।

11- <u>छत्रपति शाहू जी महाराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ का दायित्व-</u>

अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक कार्यो के सफल संचालन हेतु विषयवार कैलेण्डर व विषय सामग्री तैयार कर वेबसाइट,पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उक्त योजना के प्रचार-प्रसार का कार्य सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के सम्बन्धित मदों से किया जायेगा।

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद स्तर पर संचालित पाठ्यकमों की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट संकलित की जायेगी तथा योजना के संचालन में आने वाली कठिनाईयों तथा सुझावों को राज्य स्तरीय समिति में प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा विचार कर यथा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगें।

योजना को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति, आउटसोर्सिंग द्वारा अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था निम्नांकित विवरण के अनुसार की जायेगीः-

क्रमांक	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**	**नियुक्ति का स्त्रोत**
1	**2**	**3**	**4**
1	जिला समाज कल्याण अधिकारी	02	जिला समाज कल्याण अधिकारी संवर्ग से
2	कोर्स कोआर्डिनेटर	04	सेवा प्रदाता के माध्यम से।
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर	04	
4	मल्टीटॉस्क स्टाफ	04	

12- <u>आउटसोर्सिंग स्टाफ का चयन तथा मानदेय-</u>

12.1 कोर्स कोआर्डिनेटर का मानदेय रू0 60,000/-, कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय रू0 18,000/- तथा मल्टीटास्क स्टाफ का मानदेय रू0 10,000/- होगा। टैक्स व अन्य कटौती मानदेय से अतिरिक्त रूप से अनुमन्य होगी। कोर्स-को-आर्डिनेटर, कम्प्यूटर आपरेटर तथा मल्टीटास्क स्टाफ का चयन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों की नियुक्ति जैम पोर्टल के माध्यम से निदेशालय समाज कल्याण द्वारा की जायेगी।

12.2 कोर्स-को-आर्डिनेटर हेतु ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

12.3 प्रत्येक जनपद में एक कोर्स को-आर्डिनेटर, एक कम्प्यूटर आपरेटर एवं एक मल्टी टास्क स्टाफ तथा निदेशालय स्तर पर योजना के सफल संचालन हेतु 03 कम्प्यूटर आपरेटर एवं 03 मल्टीटास्क स्टाफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा सकेंगें।

12.4 छात्र संख्या अधिक होने पर एक अतिरिक्त कोर्स कोआर्डिनेटर नीट,जे.ई.ई. हेतु रखे जा सकेगें। एक से अधिक कोर्स को-आर्डिनेटर, कम्प्यूटर आपरेटर, मल्टीटास्क स्टाफ की आवश्यकता होने पर जिला स्तरीय समिति के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। कोर्स कोआर्डिनेटर उपलब्ध न होने अथवा नियुक्त न होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी जिला स्तरीय अधिकारी अथवा राजकीय डिग्री कालेज या राजकीय इण्टर कालेज के किसी शिक्षक को कोर्स कोआर्डिनेटर नामित किया जायेगा।

13- <u>अतिथि प्रवक्ताओं का इन्पैनलमेंट-</u>

प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापन कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवाएं अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जायेगी। योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं को जिला स्तर पर विशेषज्ञ चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान, ट्रायल लेक्चर के उपरान्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में सूचीबद्ध किया जायेगा। व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों, वार्ताकारों तथा व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान दर रू0 2,000/-अथवा कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश में निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी। एक अतिथि व्याख्याता को प्रतिमाह अधिकतम 30 व्याख्यान अनुमन्य होंगें।

14- <u>विषय विशेषज्ञ इम्पैनलमेंट व पर्यवेक्षण समिति-</u>

अतिथि प्रवक्ताओं के इम्पैनलमेंट व अध्यापन कार्य के पर्यवेक्षण हेतु समिति निम्नवत् होगी -

(1)मुख्य विकास अधिकारी	-	अध्यक्ष
(2)जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
(3)क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज अथवा अनुदानित महाविद्यालय	-	सदस्य
(4)संबंधित विषय विशेषज्ञ	-	सदस्य
(5)जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य सचिव
(6)कोर्स को-आर्डिनेटर	-	सदस्य

15- <u>अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन/शिक्षण-</u>

15.1 जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यरत अधिकारियों का एक पैनल बनाया जायेगा। इस पैनल द्वारा मार्गदर्शन और शिक्षण कार्य किया जायेगा। आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस., पी.सी.एस. तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों का मेंटरशिप का कार्य करना होगा। उनके समर्पित भाव से किये गये कार्य हेतु वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में विशिष्ट प्रविष्टि दर्ज करते हुये प्रशस्ति-पत्र भी प्रदान किया जायेगा।

15.2 उपाम तथा पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु प्रशिक्षु अधिकारियों के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त ग्रेड/अंक प्रदान किये जायेंगें।

16- <u>फीडबैक व गुणवत्ता पर्यवेक्षण व्यवस्था-</u>

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत ऑफलाइन/ऑनलाइन कक्षाओं, पोर्टल, अध्ययन सामग्री, वेबसाइट तथा ई-कन्टेन्ट आदि के सम्बन्ध में युवाओं से फीडबैक ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण करते हुए योजना में निरन्तर सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

17- <u>प्रशिक्षण की अवधि</u>

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण की अवधि 10 माह अर्थात् 01 जुलाई से 30 अप्रैल होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा हेतु प्रशिक्षण का सत्र पृथक से संचालित किया जायेगा।

18- योजना का पर्यवेक्षण मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा।

19- <u>स्टडी मेटेरियल-</u>

छात्रों को स्टडी मेटेरियल तथा पुस्तकालय हेतु पुस्तकें जनपद स्तर से क्रय की जायेगी। डेली प्रैक्टिस पेपर उच्च स्तरीय प्राइवेट कोचिंग से लिये जा सकते है। पाक्षिक टेस्ट की व्यवस्था तथा कोर्स कम्पलीट होने के बाद साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था की जायेगी। स्टडी मेटेरियल मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा कोर्स कोर्डिनेटर की समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

20- <u>वित्त व्यवस्था-</u>

इस योजना हेतु वित्त की व्यवस्था छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन, लखनऊ तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा धन की मांग प्रस्तुत करने पर सुसंगत लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। छत्रपति शाहू जी महाराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के संचालन हेतु भविष्य में एक स्वायत्त संस्था के गठन व सोसायटी के रूप में पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त योजना का प्रदेश के 75 जिलों में समस्त गतिविधियों सहित तत्काल प्रभाव से संचालन कराया जाना सुनिश्चित करायें।

भवदीय

डॉ0 हरिओम
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-112/2022/2441(1)/26-3-2022-तददिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2-निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4-अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
5-महानिदेशक, उपाम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
9-अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10-श्रीमती रौशन जैकब, मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
12-प्रधान वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
13-समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
14-श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महनिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
15-निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनजाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगज सशक्तिकरण, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
16-निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान लखनऊ।
17-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
19-समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
20-संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, समाज कल्याण विभाग।
21-गार्ड फाइल।

डॉ0 हरिओम
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।